

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, कोटासंभाग, कोटा


कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/ सी.भ./ व.अ संस्कृत/2016 दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा भर्ती परीक्षा-2016 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-संस्कृत के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंशिक किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-संस्कृत के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रू0प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/20301/नियु-वअसंस्कृत/2018/556 दिनांक: 30.10.18 के द्वारा नियुक्ति दी गई थी। इनका पदस्थापन परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है-

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व मूल आई डी एम दस्तावेजों से मिलान कर निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करे।
- 3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 100/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4 विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 100/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
- 5 आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर संस्था प्रधान, कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से अपने स्तर पर मिलान करेंगे। यदि कोई भिन्नता की स्थिति पायी जाती है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाकर स्थानीय कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
- 7 (अ) अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है, तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
(स) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जिन अभ्यर्थियों के नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है, उनके संबंध में नियमानुसार नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन आशार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें।
8. आरपीएससी अजमेर द्वारा व.अ. भर्ती परीक्षा के संस्कृत विषय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 30.06.17 को किया गया अतः यदि अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता परीक्षा तिथि के बाद की है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को लौटाने की व्यवस्था करें।

9. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रू०प्रतिमाह / विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
 10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा-महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
 11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
 12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
 14. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।
 15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 16. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय.) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।
 17. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 18. अभ्यर्थी को शाला दर्पण/शाला दर्शन के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करावे।
 19. कार्य ग्रहण कराने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक पार्ट प.7(3) कार्मिक/क-2/06 दिनांक 04-10-2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाये।
- यह नियुक्तियां निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ.3(1)(9)I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 से गठित स्क्रिनिंग समिति से अनुमति प्रदान किए जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर दी गयी है।



(रामस्वरूप)

संयुक्त निदेशकस्कूल शिक्षा
कोटा संभाग,कोटा

क्रमांक: संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/20301/नियु-वअ संस्कृत/2018/559 दिनांक: 31.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4- शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 6- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 7- उपनिदेशक(प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 8- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड़ को मूल आवेदन पत्र सहित
- 9- संबंधित संस्था प्रधान, उमावि/मावि-----
- 10- संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
- 11- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
- 12- विभागीय वेब साइट rajrsa.nic.in पर प्रकाशनार्थ
- 11-रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशकस्कूल शिक्षा
कोटा संभाग,कोटा


कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा,कोटा संभाग,कोटा

क्रमांक : संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/20301/नियु.वअ.संस्कृत/2018/559

दिनांक 31.10.2018

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2016 विषय संस्कृत में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्र.स.	मेरिट संख्या	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्म दिनांक	रोस्टर चयन वर्ग जिसके एति न्याय	पदस्थापन स्थान मावि/उमावि	फोटो
1	3331-A	BC, WE, WD	SUDHA KUMARI KUNTAL	VIJAY SINGH	ग्राम-बिलोठ, पो.ढेहरा, तह.नदबई जिला-भरतपुर	15-7-83	OBCF	राउमावि ठीकरिया,भवानीमण्डी,झ ालावाड	


संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग,कोटा